

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

दि० न० - 13/2026

अनवान :-

1. मलकीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. कुलविन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर वर्मा व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 8 केएचआर के खाता सं० 227/150 में कुल 0.759 है० का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इसी अनुसार चक 8 केएचआर के खाता सं० 227/150 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाता है। एवं यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/2/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
R.A.S.